

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2048]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938

No. 2048]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016

का. आ. 2727(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (39 के 2003), के अंतर्गत गठित तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग को, इस आयोग को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, अर्थात्

- (क) सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त राशि ;
- (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 86 की उप धारा 1 के खंड (छ) के तहत लगाया गया शुल्क;
- (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के तहत लगाया गया जुर्माना;
- (घ) सरकारी अनुदानों पर कमाई गई ब्याज की आय; और
- (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्राप्त शुल्क राजस्व पर अर्जित ब्याज की आय ।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग :-

- (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

- (ख) आयोग के क्रियाकलाप और इसको होने वाली विशेष आय की प्रकृति में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के अनुसार अपनी के प्रावधानों आयकर विवरणी दायर किया करेगा।

3. इस अधिसूचना को 1.6.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए लागू किया गया माना जाएगा और यह वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 72/2016, फा .सं.196/03/2012-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक